



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
रतलाम

सं. ई/ईपी/487/विविध

दिनांक 23.07.2020

प्रति,
सर्वसंबंधित रतलाम मंडल

विषय:- दिनांक 25/03/2020 से दिनांक 01/06/2020 तक लॉकडाउन के दौरान उपस्थिति (Present), अनुपस्थिति (Absent), विशेष आकस्मिक अवकाश(Special CL), घर से कार्य (Work From Home) तथा कार्य पर (On Duty) के संदर्भ में।

- संदर्भ: (1) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 11013/9/2014-Esstt (A-III) दिनांक 22/03/2020
(2) महाप्रबंधक कार्यालय का पत्र सं. E/P/298/0-2020 दिनांक 28/03/2020
(3) इस कार्यालय का पत्र सं. 2020/ई/ईपी/कोविड-19 (कोरोना) दिनांक 15/04/2020
(4) रेलवे बोर्ड का आदेश सं. 44/2020 दिनांक 08/06/2020
(5) गृह मंत्रालय का आदेश सं. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 08/06/2020 तथा इस कार्यालय का संमसंख्यक पत्र सं दिनांक 01/06/2020

कोविड-19 के प्रसार के सुरक्षात्मक उपाय के प्रयास में भारत में संपूर्ण लॉकडाउन दिनांक 25/03/2020 से शुरू किया गया था एवं जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था । अतः इस लॉकडाउन समयकाल में मंडल कार्यालय पर उपस्थिति (Present), अनुपस्थिति (Absent), विशेष आकस्मिक अवकाश(Special CL), घर से कार्य (Work From Home) तथा कार्य पर (On Duty) के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं:-

1. अधिकारी / कर्मचारी जो कार्य पर (ऑन ड्यूटी) मुख्यालय से बाहर गये थे तथा परिवहन के बंद हो जाने एवं सम्पूर्ण लॉकडाउन हो जाने के कारण मुख्यालय वापस नहीं आ सकें उन्हें दिनांक 25/03/2020 से वापस मुख्यालय रिपोर्ट करने या दिनांक 01/06/2020 जो भी पहले हो तक, कार्य पर (ऑन ड्यूटी) माना जायेगा ।
तथा जो अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 01/06/2020 तक मुख्यालय रिपोर्ट नहीं करता है उसे **अनुपस्थित (Absent)** माना जायेगा या सक्षम अधिकारी की सहमति से जो अर्जित अवकाश लेना चाहे माना जाएगा ।

2. अधिकारी/कर्मचारी जो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत अवकाश पर थे तथा परिवहन के बंद हो जाने एवं सम्पूर्ण लॉकडाउन हो जाने के कारण मुख्यालय वापस नहीं आ सके उन्हें दिनांक 25/03/2020 से वापस मुख्यालय रिपोर्ट करने या दिनांक 01/06/2020 जो भी पहले हो तक, विशेष आकस्मिक अवकाश(Special CL) माना जायेगा।
तथा जो अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 01/06/2020 तक मुख्यालय रिपोर्ट नहीं करता है उसे **अनुपस्थित (Absent)** माना जायेगा या सक्षम अधिकारी की सहमति से जो अर्जित अवकाश लेना चाहे माना जाएगा।
3. प्रशिक्षु जो इस लॉकडाउन के पहले (अर्थात दिनांक 25/03/2020 के पहले) प्रशिक्षण कर रहे थे तथा जिनका प्रशिक्षण स्थगित / बढ़ाया गया है उन्हें दिनांक 25/03/2020 से प्रशिक्षण के पूर्ण होने तक **विशेष आकस्मिक अवकाश(Special CL)** माना जायेगा एवं वेतन(Stipend) जारी रखा जायेगा।
4. अधिकारी/कर्मचारी जो इस लॉकडाउन के पहले (अर्थात दिनांक 25/03/2020) से लंबे समय से अनुपस्थित/ अनाधिकृत अनुपस्थित रह रहा हो / बिना सूचना के बीमार चल रहा हो उसको **अनुपस्थित (Absent)** माना जायेगा तथा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी का वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा।
5. अधिकारी/कर्मचारी जो निर्धारित रोस्टर अनुसार कार्यालय उपस्थित नहीं होता है उसे अनुपस्थित / अनाधिकृत अनुपस्थित या सक्षम अधिकारी की सहमति से जो अर्जित अवकाश लेना चाहे माना जाएगा।
6. चिकित्सीय प्राधिकार / राज्य सरकार / रेलवे प्रशासन के द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारी को कुरांटाइन (Quarantine) किया गया है, उन्हें घर से कार्य करना (**Work From Home-WFH**) माना जाएगा।
कुरांटाइन (Quarantine) अवधि के पश्चात कार्यालय रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में **अनुपस्थित (Absent)** माना जायेगा या सक्षम अधिकारी की सहमति से जो अर्जित अवकाश लेना चाहे माना जाएगा।
7. उच्च जोखिम वाले कर्मचारी जैसे उच्च मधुमेह, उच्च रक्तचान, ब्रोंकाइटिस, गर्भवती महिला इत्यादि (रेलवे डॉक्टर का समर्थन प्रस्तुत करना होगा) के लिये दिनांक 25/03/2020 से **विशेष आकस्मिक अवकाश(Special CL)** माना जायेगा। इसके लिये कर्मचारी को अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
8. अधिकारी/कर्मचारी जो अपने गृह जिला या अन्य स्थान पर रहकर सक्षम अधिकारी की सहमति से **घर से कार्य करना (Work From Home-WFH)** माना जायेगा या सक्षम अधिकारी की सहमति से जो अर्जित अवकाश लेना चाहे माना जाएगा।

9. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 11013/9/2014-Esstt (A-III) दिनांक 27/03/2020 के अनुसार **विकलांग कर्मचारियों** को इस लॉकडाउन में कार्यालय उपस्थिति के लिये छूट प्रदान की गयी है। अतः इन कर्मचारियों के लिये **विशेष आकस्मिक अवकाश(Special CL)** माना जायेगा। इसके लिये कर्मचारी को अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
10. रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 44/2020 दिनांक 08/06/2020 के अनुसार, जो अधिकारी/कर्मचारी Containment Zone में रह रहा है तथा जिसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी / संबंधित अधिकारी को दे दी गई है, उसे Containment Zone के समाप्त होने तक **घर से कार्य करना (Work From Home-WFH)** माना जायेगा या **विशेष आकस्मिक अवकाश(Special CL)** माना जायेगा।

यह आदेश प्रावधिक है, उपरोक्त विषय में यदि कोई अन्य विशिष्ट दिशानिर्देश रेलवे बोर्ड / प्रधान कार्यालय से जारी किये जाते हैं तो तदानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को सूचना दी जाएगी।

इसे सक्षम अधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः सभी संबंधित आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालना सुनिश्चित करें।

(उन्मेश त्रिवेदी)

मंरेप्र- स्थापना रतलाम

प्रति:-

मंरेप्र/ अमंरेप्र- रतलाम - कृपया सूचनार्थ।

सभी शाखाधिकारी-रतलाम मंडल।

मंडल मंत्री – वेरेएयू /वेरेमसं/ एससीएसटी एसोसिएशन / ओ बी सी एसोसिएशन- रतलाम मंडल